



2026:AHC: 2887

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 19621 वर्ष 2025

रामवृक्ष

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:	दिलीप कुमार, जय प्रकाश यादव
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बी.के. श्रीवास्तव को सुना गया।
2. वर्तमान याचिका में दिनांक 13.01.2025 के कारण बताओ नोटिस को रद्द करने की प्रार्थना की गई है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उन्होंने 23.01.2025 को अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया है। हालांकि, उस पर विचार नहीं किया गया है।
4. विरोधी पक्षों के तर्कों और उनके द्वारा लिए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जा रहा है कि यदि कार्यवाही अभी तक समाप्त नहीं हुई है, तो प्रतिवादी आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार कड़ाई से कार्यवाही को संपन्न करें।

7 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)